जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2018 / 944 दिनांक 02/11/18

/ / अधिसूचना / /

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 1–6 / 2017 / 38–3 भोपाल, दिनांक 26.12.2017 के परिपालन में जीवाजी विश्वविद्यालय के आदेश कमांकः जीविवि / प्रशा / स्था / 2018 / 790 दिनांकः 21.09.2018 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में लोकपाल की व्यवस्था कर दी गई है जिसमें प्रकरणों की सुनवाई हेतु म0प्र0 शासन के आदेशानुसार श्री हिलाल उद्दीन अहमद सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों के निराकरण हेतु लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। जिन विषयों पर विश्वविद्यालय में शिकायतकर्ताओं द्वारा सुनवाई हेतु आवेदन प्राप्त किये जावेगें वे निम्नानुसार हैं।

(1) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में निर्धारित मेरिट के विरूद्ध दाखिला प्रदान करना।

(2) संस्थान द्वारा स्वीकृत दाखिला प्रकिया में अनियमितता।

(3) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में दाखिले से इंकार करना।

(4) विनिर्दिष्ट अनुसार विवरणिका का गैर प्रकाशन।

(5) विवणिका में किसी भी ऐसी सूचना का प्रकाशन करना जो झूठ या भ्रामक है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है

(6) किसी छात्र द्वारा दाखिला लेते समय डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रमाणपत्रों को उच्च शैक्षिक संस्थान में जमा कर दिये जाने पर, इन दस्तावेजों को इस विचार से उस संस्थान द्वारा अपने पास रोक लेना या वापस लौटाने से इंकार करना कि ये जिस अध्ययन पाठ्यकम या कार्यकम को आगे पढ़ने का इच्छुक नहीं है, उसका शुल्क वसूल करने के लिए दबाव बना सके।

(7) घोषित दाखिला नीति में निर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग करना जिस ऐसे संस्थान द्वारा वसूल किया जाता है।

(8) दाखिला आरक्षण हेतु अनुप्रयोजनीय नीति का उल्लंघन करना।

(9) अ.जा, अजजा, अपिव, महिलाओं, अल्पसंख्यकों या विकलांग श्रेणी के छात्रों के साथ कथित भेदभाव संबंधी शिकायतें।

(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लागू शर्तों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबद्ध संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को छात्रवृत्तियों का भुगतान न करना या भुगतान में विलंब करना।

(11) अकादमिक में निर्देश के विपरीत परीक्षाओं के संचालन या घोषणा में विलंब करना।

(12) छात्र सुख–सुविधाओं का प्रावधान, जिन्हें संस्थान ने अनिवार्य रूप से उलब्ध कराने का वचन दिया है।

(13) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से इंकार करना, जैसा कि दाखिले के समय उपलब्ध कराने का वचन दिया गया था।

(14) गैर पारदर्शी या अनुवंचित मूल्यांकन प्रणाली।

(15) यौन उत्पीड़न सहित छात्रों का शोषण एवं प्रताड़ना।

उपरोक्त विषयों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को आवक शाखा में निधारित फार्म मे भरकर प्रस्तुत किया जा सकेगा यह फार्म वि0वि0 की वेवसाईड jiwaji.edu. से प्राप्त किया जा सकता है।

कुलसचिव

प्रति,

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्रायें।

प्रतिलिपिः–

1. माननीय श्री हिलाल उद्दीन अहमद, लोकपाल जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, समस्त अध्ययनशालायें, जी.वि. ग्वालियर।
3. विश्वविद्यालय से संबद्ध, समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा एप पर अपलोड हेतु।

उप–कुलसचिव(प्रशासन)

कार्यालय लोकपाल
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
लोकपाल शिकायत हेतु
आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम..

2. पूरा पता / ई–मेल..

....

3. दूरभाष क्रमांक / मोबाईल न0..

4. आवेदन के देने का दिनांक..

5. शिकायत से संबंधित विभाग..

6. शिकायत का संक्षिप्त विवरण...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

E;/Brijesh/karandikar Letter